न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 39/2017

1. सांवर लाल पुत्र मांगीलाल
2. महावीर पुत्र मांगीलाल
3. श्रीमती मांगी पत्नि मांगीलाल
4. नन्दू पुत्री मांगीलाल
5. गीता पुत्री मांगीलाल
6. सम्या पुत्री मांगीलाल
7. सीता पुत्री मांगीलाल
8. रामकरण पुत्र कल्याण

समस्त जाति माली सभी निवासियान ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)

------प्रार्थीगण

ब ना म

1. गोपाल जाट पुत्र भैरू जाट जाति जाट नि. जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर
2. शिवराज जाट पुत्र छगना जाति जाट नि. जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर
3. ताराचन्द माली पुत्र पन्ना माली नि. ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर
4. भैरू पुत्र लादू राम माली जाति माली निवासी ग्राम जालिया द्वितीय बिजयनगर
5. सम्पत्त पुत्र लादूराम माली जाति माली नि. ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)

------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राज. अधिनियम

आदेश दिनांक 18.07.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 751 में अंकित खसरा संख्या 3439 रकबा 01–01–00 किस्म चा.3, 3504 रकबा 05–04–00 किस्म चा.2 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 06–05–00 भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर कब्जाकश्त एवं उपयोग उपभोग कर मालिकाना हक व बिना किसी रोक टोक व बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए तथा अप्रार्थीगण अपनी दादागिरी के वसीभूत आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों में आगे बढ़ जाते हैं एवं सीमा को लेकर विवाद बना रहता है जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों का श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर की आदेश की पालना में क्रमांक 50 दिनांक 12.06.2015 को सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाज्ञान से प्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं है। वही अप्रार्थीगण द्वारा लगातार हैरान परेशान करने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत इस न्यायालय की शहण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 6 तहसीलदार महोदय बिजयनगर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पत्थरगढ़ी करावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को पाबंद करें कि वो प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने में किसी प्रकार कोई बाधा या रूकावट उत्पन्न नहीं करें एवं प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमियों की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

निरन्तर------

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी ने कॉलम संख्या 1 में खसरा संख्या 3439 व 3504 के बाबत् पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है जबकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 3439 व 3504 का पुराना सं. खसरा संख्या 1408 है तथा उक्त खसरे के लगते हुए कुए का पुराना मिलान खसरा संख्या 1408 है और जमाबन्दी संवत् 2015 से 2020 के अनुसार खसरा संख्या 1408, 1409 प्रार्थी के पूर्वज पन्ना लाल वल्द केलूराम जाट तथा अप्रार्थी के पूर्वज कल्याणमल वल्द सुवा कौम माली के नाम पर दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा संख्या 3503, 3439 व 3404 अप्रार्थीगण के व प्रार्थीगण के पूर्वजों के बराबर मालिकाना हक व कब्जे में रही है किन्तु प्रार्थीगण ने चालाकी से खसरा संख्या 3439, 3404 अपने नाम रिकार्ड में चढ़वा लिया जबकि नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा संख्या 3439 व 3404 के बीच खसरा संख्या 3449 नहर है। इस प्रकार सच तो यह है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम होने के बावजूद वर्तमान में रेकार्ड प्रार्थीगण केनाम पर गलत तरीके से आया गया और जमीन की कीमते बढ़ जाने से प्रार्थीगण लालची हो गये और अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल जाट को पत्थरगढ़ी के माध्यम से बेदखल करवाना चाहता है जबकि दोनों खसरों के आधे हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा सं. 3503 कुआ से मौके पर फसल कर कब्ज काश्त कर रखी है। ऐसे में पत्थरगढ़ी बिना रिकार्ड दुरूस्त कराये बिना पत्थरगढ़ी होना अप्रार्थी के हितों के विपरीत होगा विशेष तौर पर जबकि प्रार्थीगण से कब्जे व फसल बाबत् साक्ष्य व जिरह नहीं हुई है। बिना कब्जे के प्रार्थी बिना बेदखली वाद विरूद्ध अप्रार्थी डिक्री कराये बिना पत्थरगढ़ी की आड में प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन कर अप्रार्थी को भी न्याय दिलावे।

उक्त जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उभयपक्षान के अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधिनियम पर सुनी गई जिनके कथन कन्होबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन ग्राम जालिया द्वितीय पटवार हल्का जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 751 में अंकित आराजियात खसरा संख्या 3439 रकबा 01–01–00 व खसरा संख्या 3504 रकबा 05–04–00 में सांवरलाल महावीर पि. मांगीलाल मांगी पत्नि मांगीलाल गीता नन्दू सम्या सीता पुत्रियां मांगीलाल रामकरण पिता कल्याण कौम माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नोट नामान्तरकरण संख्या 1523 दिनांक 30.06.2015 से उक्त प्रार्थीगण का आपसी बंटवारा भी किया जा चुका है जिसके नए नम्बर 3504/1, 3439/1 तथा 3504/2, 3439/2 बने हैं। प्रार्थी श्री सांवरलाल ने पूर्व में सीमाज्ञान करवाने जाने की प्रति प्रस्तुत की है जिसका मौका पर्चा दिनांक 30.06.2015 है। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिनका नाप–चौप व पत्थरगढ़ी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जालिया द्वितीय की भूमियां खसरा संख्या 3439 रकबा 01–01–00 व खसरा संख्या 3504 रकबा 05–04–00 बाबत् प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठीत कर नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थर गढी करावे करावे।

आदेश आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: